	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31/7/19	पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को पूर्व मे प्रस्तुत राजीनामा पर सुना गया, राजीनामा तस्दीक किया जाता है। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से दर्ज की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
34 / 19	18.03.2019	31.07.2019

पीठासीन अधिकारी – जवर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. गिरिजेश यादव पुत्री मुकुट बिहारी यादव
2. पवन यादव आत्मज मुकुट बिहारी यादव
3. विष्णु यादव आत्मज मुकुट बिहारी यादव
4. भूपेन्द्र यादव आत्मज मुकुट बिहारी यादव जाति अहीर निवासीगण धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. मुकुट बिहारी आत्मज घांसीलाल यादव जाति अहीर निवासी धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

उपस्थित – श्री भारत शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से

– श्री दिनेश वैष्णव एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि प्रतिवादी नं0 1 वादीगण के पिता है एवं वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र व पुत्री है तथा एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादी नं0 1 के खातें में ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद में ख0नं0 62 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 64 रकबा 3.49 हे0, ख0नं0 65 रकबा 1.19 हे0 कुल किता 3 रकबा 5.53 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खातें में दर्ज चली आ रही है। जो वादीगण की पुश्तेनी भूमि है। प्रतिवादी नं0 1 के तीन पुत्र वादी नं0 2–3–4 तथा वादी नं0 1 पुत्री है। प्रतिवादी नं0 1 ने अपनें जीवनकाल में उक्त भूमि को अपनें चारों संतानों को देकर एक हिस्सा अपने पास रखा। वादीगण को काश्त हेतु भूमि दे रखी है। जिसे वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। इस कारण वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के साथ अपना नाम दर्ज कराकर सहखातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। उपरोक्त भूमि को वादीगण काश्त कर अपनें व अपनें परिवार का गुजर बसर करते करते चले आ रहे है तथा वादीगण की आय का एकमात्र साधन है। इस कारण प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से का खातेंदार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक है। वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज

Scanned by CamScanner

कराने से इन्कार करनें पर तथा दिनांक 17.02.2019 को उक्त भूमि को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा बुर्द बुर्द व रहन बैचान करानें की धमकी देनें पर पैदा हुआ।

वाद पेश कर वादीगण ने निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 62 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 64 रकबा 3.49 हे0, ख0नं0 65 रकबा 1.19 हे0 कुल किता 3 रकबा 5.53 हे0 भूमि में वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जानें की डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी नं0 2 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादीगण को प्रतिवादीगण से मुकद्में का खर्चा दिलाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावें।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये–

1. फोटोप्रति पास बुक सं0 2043–62
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम धनसूरी सं0 2073–76 खाता नं0 98
3. फोटोप्रति नक्शा ग्राम धनूसरी सन् 1980–81
4. प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम धनसूरी सं0 2043–62
5. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम धनसूरी सं0 2030–33
6. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम धनसूरी सं0 2026–29
7. फोटोप्रति मतदाता पहचान पत्र मुकुट बिहारी पुत्र घांसीलाल
8. फोटोप्रति आधार कार्ड गिरीजेश यादव पुत्री मुकुट बिहारी
9. फोटोप्रति मतदाता पहचान पत्र भूपेन्द्र पुत्र मुकुट बिहारी
10. फोटोप्रति मतदाता पहचान पत्र विष्णु पुत्र मुकुट बिहारी
11. फोटोप्रति आधार कार्ड पवन यादव पुत्र मुकुट बिहारी

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से वकील श्री दिनेश वैष्णव का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया, राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष नें कथन किये कि "वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के मध्य राजीनामा हो गया है, कोई मन मुटाव नहीं है। वादीगण व प्रतिवादी ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 62 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 64 रकबा 3.49 हे0, ख0नं0 65 रकबा 1.19 हे0 कुल किता 3 रकबा 5.53 हे0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी दोनों आपस में सहखांतेदार घोषित होना चाहते है। इसमें वादीगण व प्रतिवादी को आपत्ति नहीं है एवं उक्त राजीनामा से डिक्री करवाना चाहते है।" उपरोक्तानुसार राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष नें निवेदन किया कि राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा के आधार पर डिक्री जारी करनें के आदेश प्रदान करें।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करनें पर राजीनामा पढकर सुनाया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष नें सहमति प्रकट करते हुए सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये है। वादीगण की

Scanned by CamScanner

पहचान अधिवक्ता श्री भारत शर्मा एवं प्रतिवादी नं0 1 की पहचान अधिवक्ता श्री दिनेश वैष्णव द्वारा प्रमाणित की गई।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। वादगत भूमि वाके ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 62 रक़बा 0.85 हे0, ख0नं0 64 रकबा 3.49 हे0, ख0नं0 65 रकबा 1.19 हे0 कुल किता 3 रकबा 5.53 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 की खातेदार में दर्ज चली आ रही है। वादीगण नें अपनें वादपत्र में कथन किये है कि विवादित भूमि पुश्तेनी भूमि है। चूंकि प्रकरण पिता एवं संतानों के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में विचारण करनें के उपरान्त संतान का अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की अवधारणा है। जिससे वादीगण अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें के अधिकारी प्रतीत होते है। उक्त राजीनामे में किसी प्रकार की राजकीय हानि नहीं होनें से राजीनामा तस्दीक किया जाता है तथा राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जानें योग्य है।

परिणामतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 62 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 64 रकबा 3.49 हे0, ख0नं0 65 रकबा 1.19 हे0 कुल किता 3 रकबा 5.53 हे0 भूमि में वादीगण गिरिजेश पुत्री पवन यादव, विष्णु यादव, भूपेन्द्र यादव पुत्रान मुकुट बिहारी को प्रतिवादी नं0 1 मुकुट बिहारी के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 31/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. गिरिजेश यादव पुत्री मुकुट बिहारी यादव
2. पवन यादव आत्मज मुकुट बिहारी यादव
3. विष्णु यादव आत्मज मुकुट बिहारी यादव
4. भूपेन्द्र यादव आत्मज मुकुट बिहारी यादव जाति अहीर निवासीगण धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. मुकुट बिहारी आत्मज घांसीलाल यादव जाति अहीर निवासी धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–34 / 19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री भारत शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री दिनेश वैष्णव एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 62 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 64 रकबा 3.49 हे0, ख0नं0 65 रकबा 1.19 हे0 कुल किता 3 रकबा 5.53 हे0 भूमि में वादीगण गिरिजेश पुत्री पवन यादव, विष्णु यादव, भूपेन्द्र यादव पुत्रान मुकुट बिहारी को प्रतिवादी नं0 1 मुकुट बिहारी के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.07.2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0

Scanned by CamScanner

स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0.	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner